(1)

न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 17/2019

1– सुमनकंवर पुत्री सांगसिंह पत्नि समंदरसिंह जाति राजपूत निवासी पेथडो की ढाणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल आबाद ग्राम भोजासर तहसील रतनगगढ जिला चुरू

—— अपीलांटस

बनाम

1– हरकंवर पत्नी स्व. सांगसिंह
2– देवी सिंह
3– पृथ्वीसिंह
4– पप्पूसिंह } — पिसरान स्व0 सांगसिंह जाति राजपूत निवासीगण पेथडो की ढाणी तहसील कालोयत जिला बीकानेर
5– सुमेरसिंह
6– भैरूसिंह

7– किरणकंवर पुत्री स्व. सांगसिंह पत्नी दिलिपसिंह जाति राजपूत निवासी पेथडो की ढाणी हाल ग्राम मण्डेला तहसील चिडावा जिला झुन्झूनु
8– राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रामचंद्र सिंह भाटी – अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री रविराजसिहं भाटी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 7
3. पैरोकारराज – राज्य की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक :25–9–2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन आज्ञा उपनिवेशन तसहीलदार गजनेर मु0 कोलायत कैम्प गिराजसर दिनांक 13.6.19 के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी हैं। जिससे कि उक्त इंतकाल सं0 177 मे अपीलांटा का नाम सुमनंवर के स्थान पर सुखी कंवर दर्ज कर दिया गया।

2– संक्षेप में अपील प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हें कि वाके रोही ग्राम पेथडों की ढाणी तहसील कोलायत मे खेत ख.न. 1105 तादादी 298 बीघा 18 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार सांगसिंह, गजेसिंह, व मेहरसिंह पुत्रगण उदयसिंह व उसके अन्य सहकाश्त थे। इन सह खातेदारों गे से सह खातेदार सांगसिंह पुत्र उदय सिंह की मृत्यु हो जाने पर इसकी फौतगी का विरासतन इंतकाल उसके वारिसान पत्नि हरकंवर व पुत्रगण/ पुत्रियां रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 7 व अपीलांटा के नाम उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु. कोलायत दिनांक 13.6.2016 को सत्यापित किया गया। जिसमे अपीलांटा के सही नाम सुमन कंवर के स्थान पर सुखी कंवर गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीयां ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि उसका नाम गलत रूप से दर्ज करने के फलस्वरूप इंतकात सं0 177 दिनांक 13.6.2016 मिसल रिकार्ड के खिलाफ होने से अवैध हो जाता हैं। अपील के साथ दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपील प्रथम जानकारी के आधार पर मियाद मे प्रस्तुत होनी की जाकर स्वीकार की जावे तथाा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंतकाल मे सुखी कंवर के स्थान पर सुमन कंवर का

नाम दुरूस्ती करने के तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर को आदेश दिया जावें।

3— इस अपील प्रार्थना पत्र मे प्रत्यर्थीगण को सम्मन भिजवाये गये। प्रत्यर्थी सं0 1 ता 7 की ओर से श्री रविराजसिहं भाटी अभिभाषक ने दिनांक 28.8.19 को उपस्थित आकर अपना वकालतनामा न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिसकी मूल प्रति प्राप्त हो के पत्र शामिल मिसल की गयी।

4— बहस उभयपक्ष के विद्वान अपीलाण्टासगण सुनी गयी एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

5— सर्व प्रथम हम अपील के मियाद के बिन्दु को तय करते हैं कि यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर की आज्ञा दिनांक 13.6.2016 के विरूद्व इस न्यायालय मे दिनांक 23.7.19 को प्रस्तुत की गयीं जो निश्चित रूप से समय सीमा से बाधित हैं उसके संबंध मे अपीलार्थीयां ने दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसमे देरी के युक्तियुक्त एवं संतोषप्रदकारण उल्लेखित किये हैं। जिस पर विश्वास कर अपील के प्रस्तुत करने मे लगी देरी को कंडोन किया जाता हैं तथा अपील प्रथम जानकारी से मियाद मे प्रस्तुत होनी करार दी जाती है।

6— जहां तक अपील के गुणावगुण पर निर्णय का प्रश्न हैं अपील ज्ञापन मे व उसके समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता, परिचय पत्र, बैंक की पास बुक व भामाशाह कार्ड की फोटो प्रतियों से यह प्रकट होता हैं कि अपीलार्थीयां का सही नाम सुमनकंवर ही होना प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थीयां की अपील स्वीकार योग्य बनती हैं जो स्वीकार की जाती हैं तथा तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया जाता हैं कि अपीलार्थी का नाम सुखीकंवर दर्ज किया जाने का आदेश निरस्त किया जाकर उसका सही नाम इंतकाल मे दर्ज करने हेतु उससे प्रस्तुत मूल/प्रमाणित प्रतियां लेकर उसको सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जायें।

निर्णय आज दिनांक 25/9/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर